भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 182
(जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946(शक) को दिया जाना है।)

विवाद से विश्वास योजना

182 # श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2020 में शुरू की गई प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान विवाद से विश्वास योजना की विशेषताएं क्या है;

(ख) आयकर संबंधी लंबित मुकदमेबाजी में कमी लाने और सरकार के लिए समय पर राजस्व अर्जित करने के संदर्भ में इससे प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर-मुकदमेबाजी और विरासत विवादों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ऐसे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

उत्तर (क)

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2020

(i) इस योजना की घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने 2020 के बजट भाषण में की थी। योजना के प्रयोजन के लिए, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (अधिनियम) को 17 मार्च, 2020 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे अधिसूचित किया गया। अधिनियम को विवादित कर के समाधान और उससे जुड़े या आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए पेश किया गया था।

(ii) इस अधिनियम का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना, सरकार के लिए समय पर राजस्व सृजित करना और करदाताओं को मन की शांति, निश्चितता और समय और संसाधनों की बचत प्रदान करके लाभान्वित करना था जो अन्यथा मुकदमेबाजी प्रक्रिया पर खर्च किए जाते।

(iii) इस योजना में कर बकाया से संबंधित विवाद शामिल हैं। योजना के तहत "कर बकाया" का अर्थ है विवादित कर की कुल राशि, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज, और ऐसे विवादित कर पर लगाया जाने वाला या लगाया गया जुर्माना; या विवादित ब्याज; या विवादित जुर्माना; या विवादित शुल्क।

(iv) अधिनियम के अंतर्गत पात्र करदाता के पास देय कर का निर्णायक निर्धारण होगा जो विवादित कर बकायों से कम है और मामले को पुन नहीं खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में कतिपय मामलों में अपराध के संबंध में कार्यवाहियां शुरू करने और शास्ति अधिरोपित करने से प्रतिरक्षा का प्रावधान है।

(v) इस योजना का लाभ पात्र करदाता उठा सकते हैं जो विवाद में हैं और मामला उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या आयकर अपीलीय अधिकरण या आयकर आयुक्त (अपील) आदि के समक्ष लंबित है।

(vi) योजना के तहत पात्र होने के लिए, करदाता लंबित अपीलों को वापस ले लेगा। इसके अलावा, कोई अपीलीय फोरम किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा।

(vii) यह योजना आयकर अधिनियम या जहां कतिपय अन्य कानूनों के तहत अभियोजन शुरू किया गया है/स्थापित किया गया है**,** के तहत तलाशी, अभियोजन आदि सहित मामलों के कतिपय वर्गों में कर बकाया के संबंध में लागू नहीं है।

उत्तर (ख)

दिनांक 04/07/2024 को विवाद से विश्वास योजना का सारांश		
(1)	**(2)**	**(3)**
दाखिल किए गए प्रपत्र की गणना (लंबित आयकर मुकदमेबाजी जहां घोषणाकर्ता द्वारा निपटान की मांग की गई है)	जारी किए गए प्रपत्र-5 की गिनती (कॉलम 1 में उल्लिखित संख्याओं में से अंतिम रूप से निपटान की गई संख्या)	विवादित कर के एवज में किया गया भुगतान (करोड़ रु. में)
1,31,714	1,13,894	75,788.25

उत्तर (ग)

(i) आयकर विभाग के मुकदमेबाजी और कर विवादों को कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने परिपत्र जारी किया है जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों को कुछ विनिर्दिष्ट श्रेणी के मामलों को छोड़कर नीचे दी गई मौद्रिक सीमाओं से कम कर प्रभाव वाले अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर न करने का निदेश दिया गया है:

फ़ोरम	**रुपए से अधिक का कर प्रभाव।**
आईटीएटी	50 लाख
हाई कोर्ट	1 करोड़
सर्वोच्च न्यायालय	2 करोड़

(ii) वित्त अधिनियम, 2022 ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 158कख जोड़ी है ताकि विभाग द्वारा बार-बार की जाने वाली अपीलों से बचा जा सके। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी निर्धारिती के मामले में कानून का कोई प्रश्न कानून के उस प्रश्न के समान है जो किसी भी मामले में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित है, तो विभाग द्वारा इस निर्धारिती के मामले में आई. टी. ए. टी. या उच्च न्यायालय के समक्ष आगे की अपील दायर करने को तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि कानून के ऐसे प्रश्न का निर्णय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है।

(iii) मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील मुख्य आयकर आयुक्तों की समिति के अनुमोदन के बाद ही दायर की जाती है। उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के प्रस्ताव की विधि एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा आगे जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य मामले ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए जाएं।

****